ललीता का हक बंट निहित है ऐसी सूरत में मुतदाविया भूमि में ललीता का कोई बंट नहीं रखा है। आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने के बावजूद माफिक बंट अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद नहीं होने से यह वाद पेश किया जा रहा है। राज्य सरकार ऐसे दावों में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को भी पक्षकार बनाया है। जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने वकालतनाम मय ईकबाली जवाब दावा पेश कर वाद से सहमति जताई। प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त जो केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की तरफ से इकबाली जवाब दावा पेश होने व प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा जायल के खाता संख्या 2675 प्रदर्ष–1 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिकी करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है। तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। तहसीलदार जायल को परफोर्मा पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2 ललीता के नाम उक्त भूमि में से कोई भूमि नहीं रखी गई है एवं दावा वास्ते विभाजन व घोषणा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किय गया है। अतः हमारी राय में यह मामला हक तर्क द्वारा भूमि अन्तरण का है अतः हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प ड्यूटि तहसीलदार जायल के पास जमा होने पर अमल दरामद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— :: आदेश ::—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिकी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 भूपेन्द्र नेतड़ के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा जायल के खसरा नम्बर 4903/2165 रकबा 8.4658 हैक्टेयर में से रकबा 1.9424 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार उत्तरी पूर्वी कोने में रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

सहायक कलक्टर
(ए.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

2. प्रतिवादी संख्या 1 शिवकुमार के हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा जायल के खसरा नम्बर 4903/2165 रकबा 8.4658 हैक्टेयर में से रकबा 1.9424 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार पूर्वी दक्षिणी कोने में रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाति है।
3. प्रतिवादी संख्या 3 मनीराम हक बंट कब्जे काश्त खातेदारी में मौजा जायल के खसरा नम्बर 4903/2165 रकबा 8.4658 हैक्टेयर में से रकबा 4.5810 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार एंव 2164 रकबा 0.0809 हैक्टेयर पूरा एवं खसरा नम्बर 4896/1474 रकबा 0.1173 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 ललीता के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी द्वारा अपना हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

माफिक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 17.7.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner